कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 175/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** **दिनांक- 07.05.2026**

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 07.05.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

जानलेवा हमला करने वाले 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर भेजा न्यायालय

जमीन बंटवारे के विवाद में चाकू से हमला कर युवक को किया था घायल

जनपद में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना गम्भीरपुर पुलिस द्वारा जान से मारने की नियत से हमला करने के मामले में 02 नफर अभियुक्त व 01 नफर अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है।

➡ *घटना का संक्षिप्त विवरण—*

दिनांक 07.05.2026 को समय करीब 06:30 बजे ग्राम मुजफ्फरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ निवासी इश्तियाक पुत्र स्व0 मो0 अयूब, दिलजहाँ पत्नी इश्तियाक तथा मो0 आतिफ पुत्र इश्तियाक द्वारा जमीन के बंटवारे को लेकर वादी/मजरूब मो0 फारुख को गाली-गलौज देते हुए चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे उसके सिर व गले पर गंभीर चोटें आईं। पीड़ित मो0 फारुख की लिखित तहरीर के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0-103/2026 धारा 109(1)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रचलित है।

➡ *गिरफ्तारी का विवरण—*

दिनांक 07.05.2026 को व0उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1. इश्तियाक पुत्र स्व0 मो0 अयूब, 2. दिलजहाँ पत्नी इश्तियाक एवं 3. मो0 आतिफ पुत्र इश्तियाक निवासीगण मुजफ्फरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को उनके घर से समय करीब 13:15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण को नियमानुसार न्यायालय भेजा जा रहा है।

➡ *गिरफ्तार अभियुक्तगण—*

1. इश्तियाक पुत्र स्व0 मो0 अयूब निवासी मुजफ्फरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 50 वर्ष
2. दिलजहाँ पत्नी इश्तियाक निवासी मुजफ्फरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 45 वर्ष
3. मो0 आतिफ पुत्र इश्तियाक निवासी मुजफ्फरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 18 वर्ष

➡ *पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास—*

1. मु0अ0सं0-103/2026 धारा 109(1)/352 बीएनएस थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

➡ *गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—*

1. व0उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव
2. का0 विश्वामित्र
3. म0का0 अनामिका मिश्रा

थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़
जमीन बंटवारे के विवाद में आमने-सामने आए दो पक्षों के 16 लोगों पर पुलिस की कार्रवाई
शांति व्यवस्था भंग करने पर थाना जहानागंज पुलिस ने 16 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जहानागंज पुलिस द्वारा ग्राम ताड़ी में जमीन बंटवारे एवं पुरानी रंजिश को लेकर आपस में विवाद कर रहे दो पक्षों के कुल 16 लोगों को गिरफ्तार कर निरोधात्मक कार्रवाई की गई।

➡ *घटना का संक्षिप्त विवरण—*
दिनांक 07.05.2026 को ग्राम ताड़ी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ में दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश एवं जमीन बंटवारे को लेकर विवाद हो रहा था। मौके पर दोनों पक्ष आपस में वाद-विवाद एवं हाथापाई/मारपीट पर आमादा हो गए। पुलिस टीम द्वारा समझाने का प्रयास किया गया, किन्तु दोनों पक्ष नहीं माने तथा शांति व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति उत्पन्न हो गयी।

➡ *गिरफ्तारी का विवरण—*
दिनांक 07.05.2026 को थाना जहानागंज पुलिस टीम द्वारा मौके से कुल 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए मा0 एसडीएम सदर न्यायालय भेजा गया। गिरफ्तारी के दौरान मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश-निर्देशों का पालन किया गया।

➡ *गिरफ्तार अभियुक्तगण—*
प्रथम पक्ष-
1. पवन राजभर पुत्र कवलधारी राजभर
2. संध्या राजभर पत्नी अनिल राजभर
3. रिंकू राजभर पत्नी अविनाश Rajbhar
4. पूनम राजभर पुत्री रविन्द्र राजभर
5. पिंकी राजभर पुत्री रविन्द्र राजभर
6. रिंकी राजभर पुत्री रविन्द्र राजभर
7. मुन्नी देवी पत्नी अंगद राजभर
8. सुनील राजभर पुत्र कवलधारी राजभर
9. रविन्द्र राजभर पुत्र कल्पनाथ राजभर

द्वितीय पक्ष-
1. अमलेश राजभर पुत्र विजई राजभर
2. विजई राजभर पुत्र स्व0 सिरजन राजभर
3. कुसुम राजभर पत्नी अमीन राजभर
4. अमीन राजभर पुत्र विजई राजभर
5. मालती देवी पत्नी कमलेश राजभर
6. लक्ष्मीना देवी पत्नी विजई राजभर
7. कमलेश राजभर पुत्र विजई राजभर

समस्त निवासीगण ग्राम ताड़ी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

➡ *पंजीकृत कार्यवाही—*
धारा 170/126/135 बीएनएसएस थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

➡ *गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—*
1. उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

□सरकारी कार्य में बाधा डालने व नायब तहसीलदार से अभद्रता करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

□राजस्व टीम के सीमांकन कार्य के दौरान सरकारी अधिकारी से हाथापाई व मारपीट का था आरोप

जनपद में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जीयनपुर पुलिस द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालने, गाली-गलौज, हाथापाई व मारपीट के मामले में प्रकाश में आए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

➡□ *घटना का संक्षिप्त विवरण—*

दिनांक 06.05.2026 को नायब तहसीलदार सगड़ी श्री आदर्श सिंह मय राजस्व टीम एवं पुलिस बल के साथ ग्राम खालिसपुर स्थित गाटा संख्या 708 पर न्यायालय के आदेशानुसार सीमांकन कार्य हेतु पहुंचे थे। सीमांकन के दौरान गयासुद्दीन खान तथा उसका भांजा मौके पर आकर सरकारी कार्य में बाधा डालने लगे तथा नायब तहसीलदार से अभद्रता, गाली-गलौज एवं हाथापाई करते हुए मारपीट की गयी। इस संबंध में थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0-0206/2026 धारा 132/121(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रचलित है।

➡□ *गिरफ्तारी का विवरण—*

दिनांक 07.05.2026 को उ0नि0 अमित कुमार वर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित प्रकाश में आए अभियुक्त मो0 फराज पुत्र समसुजमा निवासी ग्राम खालिसपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को ग्राम खालिसपुर नहर पुलिया के पास से समय करीब 09:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➡□ *गिरफ्तार अभियुक्त—*

मो0 फराज पुत्र समसुजमा निवासी ग्राम खालिसपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 26 वर्ष।

➡□ *बरामदगी—*

निल।

➡□ *पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास—*

मु0अ0सं0-0206/2026 धारा 132/121(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

➡□ *गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—*

1. उ0नि0 अमित कुमार वर्मा
2. हे0का0 राजेश कुमार
   थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

□छेड़छाड़, धमकी व अश्लील वीडियो वायरल करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

□अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद, पोक्सो व आर्म्स एक्ट की बढ़ी धाराएं

जनपद में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सरायमीर पुलिस द्वारा छेड़छाड़, धमकी एवं अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

➡□ *घटना का संक्षिप्त विवरण—*

दिनांक 04.05.2026 को थाना सरायमीर क्षेत्र की एक किशोरी द्वारा प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि विपक्षी राजकुमार पुत्र रामप्रसाद निवासी निकामुद्दीनपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा पीछा कर छेड़छाड़ करना, छेड़छाड़ का वीडियो बनाकर वायरल करना तथा असलहा दिखाकर गाली-गलौज व परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0-111/2026 धारा 75/78/352/351(3) बीएनएस व 67बी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया। बाद में मुकदमे में धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट एवं 3/25 शस्त्र अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई।

➡ *गिरफ्तारी का विवरण—*

दिनांक 07.05.2026 को अ0नि0 पंकज कुमार शुक्ला मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर शेरवा नहर के पास से अभियुक्त राजकुमार पुत्र रामप्रसाद निवासी निकामुद्दीनपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को समय करीब 20:03 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➡ *गिरफ्तार अभियुक्त—*

राजकुमार पुत्र रामप्रसाद निवासी निकामुद्दीनपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 26 वर्ष।

➡ *बरामदगी—*

1. एक अदद तमंचा .315 बोर
2. एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर

➡ *पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास—*

1. मु0अ0सं0-111/2026 धारा 75/78/352/351(3) बीएनएस, 67बी आईटी एक्ट, 7/8 पॉक्सो एक्ट व 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

➡ *गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—*

1. अ0नि0 पंकज कुमार शुक्ला
2. का0 विनय कुमार सरोज
3. रि0का0 प्रियांशु कुमार
4. रि0का0 हरिश राजभर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पॉक्सो एक्ट व बीएनएस की धाराओं में दर्ज मुकदमे में पुलिस ने आरोपी को भेजा न्यायालय

जनपद में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अतरौलिया पुलिस द्वारा नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

➡ *घटना का संक्षिप्त विवरण—*

दिनांक 08.03.2026 को वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री को विपक्षी रूपमदास पुत्र अज्ञात निवासी महेन्द्र नगर काला पहाड़ साइकिल फैक्ट्री थाना अम्बारी (असम) द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0-86/26 धारा 137(2), 87 बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान मुकदमे में धारा 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

➡ *गिरफ्तारी का विवरण—*

दिनांक 05.05.2026 को पीड़िता को बरामद किया गया। तत्पश्चात दिनांक 07.05.2026 को उ0नि0 पवन कुमार सिंह व हे0का0 गोविन्द मौर्या द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त रुपम मणि दास पुत्र स्व0 धनंजय मणि दास निवासी महेन्द्र नगर काला पहाड़ साइकिल फैक्ट्री गोपीनाथनगर, कामरूप मेट्रो, असम को केशवपुर पुलिया के पास से समय करीब 07:25 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➡ *गिरफ्तार अभियुक्त—*

रुपम मणि दास पुत्र स्व0 धनंजय मणि दास निवासी महेन्द्र नगर काला पहाड़ साइकिल फैक्ट्री गोपीनाथनगर, कामरूप मेट्रो, असम, उम्र करीब 21 वर्ष।

➡ *पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास—*

मु0अ0सं0-86/26 धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

➡ *गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—*

1. उ0नि0 पवन कुमार सिंह
2. हे0का0 गोविन्द मौर्या थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़

चोरी की घटना का सफल अनावरण, चोरी गये सामान के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

मुर्गी फार्म से टुल्लू मोटर व अन्य सामान चोरी करने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कन्धरापुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी गये सामान के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

➡ *घटना का संक्षिप्त विवरण—*

दिनांक 05.05.2026 को वादी द्वारा थाना कन्धरापुर पर लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया गया कि विपक्षी योगेन्द्र पासवान उर्फ गोगली पुत्र स्व0 चन्द्रधारी निवासी बरईपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी के मुर्गी फार्म से टुल्लू मोटर, हैण्ड पाइप का मुखौटा व हैण्डिल, झटका मशीन, पिलास एवं रिंच चोरी कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-105/26 धारा 331(3)/305 बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त योगेन्द्र पासवान उर्फ गोगली का नाम प्रकाश में आया।

➡ *गिरफ्तारी का विवरण—*

दिनांक 06.05.2026 को उ0नि0 अखिलेश यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त योगेन्द्र पासवान उर्फ गोगली पुत्र स्व0 चन्द्रधारी निवासी बरईपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 30 वर्ष को सेहदा अंडरपास के नीचे से समय करीब 22:44 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी गया टुल्लू मोटर, हैण्ड पाइप का मुखौटा व हैण्डिल तथा झटका मशीन बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➡ *गिरफ्तार अभियुक्त—*

योगेन्द्र पासवान उर्फ गोगली पुत्र स्व0 चन्द्रधारी निवासी बरईपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 30 वर्ष।

➡ *बरामदगी—*

1. टुल्लू मोटर
2. हैण्ड पाइप का मुखौटा व हैण्डिल
3. झटका मशीन

➡ *पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास—*

1. मु0अ0सं0-105/26 धारा 331(3)/305/317(2) बीएनएस थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

➡ *गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—*

1. उ0नि0 अखिलेश यादव मय हमराह थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

चाकू से हमला कर युवक को घायल करने वाले आरोपी को पुलिस ने भेजा न्यायालय

जनपद में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना फूलपुर पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

➡ *घटना का संक्षिप्त विवरण—*

दिनांक 04.05.2026 को वादी द्वारा थाना फूलपुर पर लिखित तहरीर देकर बताया गया कि उसका पुत्र रुस्तम उर्फ धर्मेन्द्र

गांव में मकान निर्माण कार्य देखने जा रहा था, तभी रास्ते में विपक्षीगण गंगू उर्फ पुष्पेन्द्र एवं सत्यम गौतम निवासीगण ग्राम गोबरहा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा गाली-गलौज की गयी। विरोध करने पर जान से मारने की नियत से चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया, जिससे उसके पेट व बांह में गंभीर चोटें आईं। इस संबंध में थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0-160/2026 धारा 109(1)/126(2)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रचलित है।

➡ *गिरफ्तारी का विवरण—*

दिनांक 06.05.2026 को उ0नि0 कमालुद्दीन मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त सत्यम गौतम पुत्र रामशब्द निवासी ग्राम गोबरहा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को कस्बा फूलपुर पोखरे के पास से समय करीब 21:04 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

➡ *गिरफ्तार अभियुक्त—*

सत्यम गौतम पुत्र रामशब्द निवासी ग्राम गोबरहा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

➡ *पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास—*

1. मु0अ0सं0-160/2026 धारा 109(1)/126(2)/352 बीएनएस थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

➡ *गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—*

1. उ0नि0 कमालुद्दीन
2. का0 शुभम सिंह
3. रिक्रूट आरक्षी राजप्रकाश गुप्ता
   थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति
यातायात पुलिस, जनपद आजमगढ़

राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु यातायात पुलिस का विशेष जागरूकता अभियान
यातायात चालान सहित विभिन्न मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु आमजन को किया गया जागरूक
लाउडस्पीकर व पम्पलेट्स के माध्यम से शहर के प्रमुख चौराहों पर चलाया गया अभियान

दिनांक 09 मई 2026 को जनपद न्यायालय आजमगढ़ में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन एवं जन-जागरूकता हेतु आज दिनांक 07.05.2026 को यातायात पुलिस आजमगढ़ द्वारा विशेष प्रचार-प्रसार अभियान चलाया गया।

➡ *अभियान का विवरण—*

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों, तिराहों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर भ्रमण कर आमजन को राष्ट्रीय लोक अदालत के लाभों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान लाउडस्पीकर एवं पम्पलेट्स के माध्यम से लोगों को बताया गया कि लोक अदालत में लंबित शमनीय आपराधिक वाद, वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस (138 एनआई एक्ट), बैंक रिकवरी एवं यातायात चालानों का आपसी सहमति के आधार पर त्वरित निस्तारण कराया जा सकता है।

➡ *यातायात पुलिस की अपील—*

यातायात पुलिस टीमों द्वारा नरौली चौराहा, कलेक्ट्रेट तिराहा, भवरनाथ मंदिर चौराहा एवं रोडवेज क्षेत्र में विशेष जागरूकता अभियान चलाकर वाहन स्वामियों एवं राहगीरों को पम्पलेट वितरित किए गए। आमजन को बताया गया कि लोक अदालत में मामलों का निस्तारण सरल, सुलभ एवं कम समय में होता है, जिससे समय व धन दोनों की बचत होती है। यातायात पुलिस आजमगढ़ द्वारा जनसामान्य से अपील की गई है कि दिनांक 09 मई 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपने लंबित मामलों का निस्तारण कराएं।